स्टॉर प्लस शो डांस प्लस के शैंडी रॉय 6 व 7 अप्रैल को नरवाना में

नरवाना/नरेन्द्र जेठी : राष्ट्रीय टेलिविजन शो डांस दीवाने में मशहूर बालीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित व एकटर सुनील शेट्टी के सामने परफारमेंश देने वाले डांसर शैंडी रॉय अब नरवाना में डांस के दीवाने बच्चों को अपनी नृत्य कला का अनुभव देगें। यह जानकारी देते हुए मैक्सिक डांस स्टुडियों के मैक्स शर्मा ने बताया कि बड़े-बड़े टेलिविजन शो में अपनी नृत्य कला से सबको चौंकाने वाले मशहूर डांसर शैंडी रॉय अब हमारी अकेडमी में आगामी 6 व 7 अप्रैल को होने वाली वर्कशाप में पहुंचेगें और डांस का लगाव रखने वाले बच्चों को डांस की नई तकनीक एवं स्टैप सिखाएगें।

कड़ी सुरक्षा में दाखिल करेंगे प्रत्याशी नामांकन, 4 प्रत्याशियों ने खरीदें पत्र

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

गाजियाबाद/भूपेंद्र तालान : लोकसभा चुनाव के चलते दूसरे चरण में आगामी 26 अप्रैल को जिले में होने वाले मतदान से पहले गुरूवार से प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं।प्रत्याशी पुलिस फोर्स की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। आगामी 4 अप्रैल तक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक प्रत्याशियों द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित परिसर में जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या-102 में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।गुरूवार को पहले दिन 4 प्रत्याशियों ने अपने-अपने नामांकन पत्र खरीदें।नामांकन पत्र दाखिल होने के चलते कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी.ने डीसीपी नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह,एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव,एसीपी एलआईयू विवेक सिंह ने नामांकन कक्ष से लेकर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट में अंदर वाहनों को जाने से पुलिस ने रोक दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर इंद्र विक्रम सिंह के न्यायालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने नामांकन कक्ष से लेकर बाहर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। सीपी दिनेश कुमार पी ने जिला मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। कमिश्नरेट पुलिस ने नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है।

कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार से लेकर नामांकन कक्ष तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएसी के जवान और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। नामांकन से जुड़े लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। बांस बल्ली और बैरिकेडिंग कर सिर्फ एक लेन ही नामांकन कक्ष तक शुरू की गई है। किसी को भी अंदर प्रवेश से पहले पूछताछ के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। नामांकन होने के कारण जनसुनवाई भी स्थगित है। ऐसे में आम लोगों का आवागमन भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। कर्मचारियों के भी आईडी चेक करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है।डीसीपी सिटी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट में 200 पुलिसकर्मी के अलावा दर्जनभर से अधिक दारोगा,इंस्पेक्टर,ट्रैफिक पुलिसकर्मी टीआई और पीएसी के जवानों की ड्यूटी लगाई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव और सीओ एलआईयू विवेक कुमार सिंह भी अपनी-अपनी टीम के साथ हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे।पहले दिन निर्दलीय नत्थू सिंह चौधरी,अनिल कुमार,राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से मोनिका गौतम, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से धीरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र खरीदें।आचार संहिता लागू होने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई।नामांकन प्रक्रिया के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। परिसर में आपत्तिजनक वस्तु लेकर जाने पर प्रतिबंध किया गया है।रिटर्निंग ऑफिसर इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।

इसके लिए 28 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएंगे जो चार अप्रैल तक चलेंगे। कक्ष संख्या 102 में नामांकन होगा। कलक्ट्रेट परिसर से 200मीटर के दायरे में बैरिकेड लगाए गए है।वाहनों को वहीं रोका जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने साथ एक प्रस्तावक और चार लोगों को लेकर अंदर जा सकेंगे। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी एक प्रस्ताव के साथ अपना नामांकन भरेंगे। वहीं,निर्दलीय प्रत्याशी को अपने साथ 10 प्रस्तावक लाना होगा। उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय के भुगतान के लिए अलग से बैंक अकाउंट खोलना होगा।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शुरू हुई नामांकन पत्र दाखिल प्रक्रिया।

हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर होगी कार्रवाई :अतुल वत्स

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

गाजियाबाद/भूपेंद्र तालान : जीडीए हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों का अब जीडीए कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में निस्तारण करना होगा।इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व निस्तारण करने में देरी की गई तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज होने वाली शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर जांच बैठाए जाने के बाद एक कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।दरअसल,जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स जीडीए के प्रत्येक अनुभाग की समीक्षा कर रहे हैं।समीक्षा के दौरान अनुभागवार नए-नए खुलासे हो रहे है। जीडीए द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपत्ति के म्यूटेशन,रजिस्ट्री से संबंधित काफी शिकायतें मिली।मगर इनका निस्तारण नहीं किया जा सका। जीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली फरवरी माह में 310 शिकायतें दर्ज की गई।इनमें सबसे ज्यादा संपत्ति अनुभाग से संबंधित थी। इनमें म्यूटेंशन की सबसे अधिक शिकायत मिली। इसकी जांच कराई गई तो एक कर्मचारी द्वारा फाइल दबाकर बैठ जाने की बात सामने आई।उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी कराया गया है।

दिल्ली के बुराड़ी में जानवरों के कटे हुए अवशेष मिले

नई दिल्ली : दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक खुले मैदान में कटे हुए अवशेष मिले। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ऐसा संदेह है कि यह अवशेष जानवरों के हैं। पुलिस ने बताया कि अजीत विहार में जानवरों के अवशेष मिलने के संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम को गुरुवार को कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जो गर्ग एन्क्लेव में एक खुला मैदान था। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एमके मीणा ने कहा, 'टीम को मौके पर जानवरों के अवशेष मिले। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) टीम ने अपराध स्थल की जांच की और नमूने एकत्रित किए। जानवरों के अवशेषों को गाजीपुर एमसीडी सेंटर भेजा गया है।' डीसीपी ने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 429 और 4/12 दिल्ली कृषि मवेशी रोकथाम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।

मियाद खत्म, डीजल-पेट्रोल के 56,238 वाहनों का पंजीकरण रद्द

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

गाजियाबाद/भूपेंद्र तालान : जिले में पेट्रोल के 15 वर्ष और डीजल के 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके 56,238 वाहनों का पंजीकरण संभागीय परिवहन कार्यालय ने रद्द कर दिया है।इनके पंजीकरण रद्द होने के बाद अब वाहनों की संख्या बढ़कर कुल 2,94,670 हो गई है। जबकि,अभी तक मात्र 577 वाहनों को ही लोगों ने स्क्रैप कराया है। इसमें भी 90 फीसदी वाहन दोपहिया हैं।बार-बार नोटिस देने के बाद भी लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। विभागीय लापरवाही की वजह से इनमें अधिकांश वाहन खुलेआम सड़कों पर भी दौड़ रहे हैं। इसमें पिछले एक साल में करीब 2500 वाहनों की लोगों ने गैर जिलों के लिए अनापत्ति जारी कराकर उनका पंजीकरण वहां करा लिया है।यह वाहन भी जिले में ही घूम रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर पर ही मियाद खत्म होने वाले वाहनों को स्क्रैप कराना जरूरी है। यहां से वाहन स्वामी को एक प्रमाण पत्र भी मिलता है, जिसे दिखाने पर नए वाहन की खरीद पर तमाम तरह की छूट मिलती हैं। इसके अलावा मियाद खत्म हुए वाहन को लेकर सड़क पर चलना दंडनीय अपराध है। ऐसे वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि जिले में कुल पंजीकृत वाहन 7,80,000 है।इनमें दोपहिया वाहनों की संख्या-5,38000 है। कार व अन्य वाहन-2,25000 है।

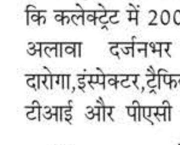

हाउस टैक्स बकाया करें जमा, अप्रैल से लगेगा 12 फीसद ब्याज

गाजियाबाद/भूपेंद्र तालान : अगर आपने अपना हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं कराया है तो अब 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करा दें,अन्यथा एक अप्रैल से 12 फीसदी ब्याज समेत हाउस टैक्स जमा करना होगा।नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स की वसूली को लेकर जारी अभियान के तहत अब तीन दिन ही वित्तीय वर्ष में शेष बचे है।ऐसे में 31 मार्च तक हर हाल में हाउस टैक्स जमा करा दें। इसके बाद निगम प्रतिष्ठान सील करने के साथ 12 फीसद ब्याज समेत हाउस टैक्स की वसूली करेगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर हाउस टैक्स वसूली को लेकर निगम का अभियान जारी हैं। नगर निगम के टैक्स विभाग ने अधिक समय से संपत्ति कर (गृहकर,जलकर,सीवर कर)जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की है। टैक्स विभाग की सख्ती के चलते एक दिन में 1.57 करोड़ 1 हजार रुपए की हाउस टैक्स वसूली की है। होली पर्व पर अवकाश के दिनों भी टैक्स वसूली अभियान लगातार जारी रहा। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन हाउस टैक्स वसूली प्राप्त हुई। कविनगर जोन हाउस टैक्स वसूली में सबसे आगे रहा। वहीं,इस जोन क्षेत्र में सरकारी विभाग भी सबसे अधिक है। इन पर भी कार्रवाई की जा रही है।

करनाल में जजपा को झटका

व्यापार सेल के जिलाअध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने दिया पद और सदस्यता से इस्तीफा

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

करनाल/डॉ हरीश चावला : करनाल में जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले ही जननायक जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने अपने पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुभाष गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की काफी नजदीक माने जाते हैं। हालांकि सुभाष गुप्ता ने अपनी सफाई में कहा है की वह निजी और स्वास्थ्य कारणों से पद और पार्टी की सदयस्ता से इस्तीफा दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल उनका किसी भी अन्य पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। मगर वह बिना किसी पार्टी के समाज में सेवा करते रहेंगे। वह जन नायक देवी लाल, ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला से लम्बे समय से जुड़े रहे। उन्हें चौटाला परिवार का काफी नजदीकी माना जाता था। जजपा के गठन के साथ ही वह जजपा से जुड़ गए थे। सुभाष गुप्ता को दो साल पहले जजपा व्यापार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष गुप्ता जिला करनाल के तरावड़ी कस्बा के रहने वाले है। वह जिले और तरावड़ी की कई व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए है। उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित किए। उनका राजनीतिक क्षेत्र में काफी दबदबा है। फिलहाल करनाल में जजपा के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। सरकार से बाहर होने के बाद जजपा ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था।

अफीम के पौधे उगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, 606 पौधे किए बरामद

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

पिहोवा/विनायक दत्त शर्मा : अपराध अन्वेषण शाखा-दो की टीम ने नशीला पदार्थ अफीम के पौधे उगाने के आरोपी शीशा सिंह वासी गुमथला गढ़ू को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार 27 मार्च 2024 को अपराध अन्वेषण शाखा-दो प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिंह, हवलदार लखन सिंह, ललित कुमार, महेश कुमार, विजय कुमार व गाड़ी चालक दिनेश कुमार की टीम पुलिस चौंकी गुमथला गढ़ू के सामने मौजूद थी। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि शीशा सिंह वासी गुमथला गढ़ू ने अपने बाड़ा के अंदर काफी मात्रा मे बिना लाईसैंस व परमिट के अफीम की फसल उगाई हुई है। सूचना पर पुलिस टीम गुमथला गढ़ू में शीशा सिंह के बाड़ा में पहुंची जहां पर काफी संख्या में अफीम के पौधे खड़े पाए गए। मौके पर राजपत्रित अधिकारी अनिल कुमार उपपुलिस अधीक्षक पिहोवा को बुलाया गया। मौके पर खड़े व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम शीशा सिंह पुत्र प्रीतम सिंह वासी गुमथला गढ़ू बताया। राजपत्रित अधिकारी के सामने पुलिस टीम द्वारा उसके बाड़े से 606 अफीम के पौधे जिनका वजन 29.6 किलोग्राम है बरामद हुए । बरामद पौधों की कीमत करीब करीब 1.5 लाख रूपये है। आरोपी के खिलाफ थाना सदर पिहोवा में नशीला वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अपराध अन्वेषण शाखा-दो के उप निरीक्षक ऋषिपाल ने आरोपी शीशा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया व अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया।

15 लाख की 467 ग्राम हेरोइन समेत दो गिरफ्तार

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

यमुनानगर/मेहता : एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने करीब 15 लाख कीमत की 467 ग्राम हेरोइन (स्मैक) सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीएसपी राजेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जिला पुलिस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने एवं उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जिसमें जिला पुलिस की विभिन्न क्राइम इकाइयां लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने करीब 15 लाख कीमत की 467 ग्राम हेरोइन (स्मैक) सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जहां से वह हेरोइन (स्मैक) लेकर आते थे ।

डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज रविकांत की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दो युवक बाइक पर सवार होकर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ लेकर कलानौर अंडर बाईपास से होते हुए यमुनानगर में आएगें। इस सूचना पर उप निरीक्षक सतीश, एएसआई बीरबल, जसबीर सिंह, राजेंद्र की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद दो युवक बाइक में सवार होकर आये। टीम ने दोनों युवकों को बाइक सहित काबू किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीएसपी मुख्यालय कवलजीत सिंह को बुलाया गया। पूछताछ पर जिनकी पहचान जिला सहारनपुर के थाना नकुड के गांव तिगरी निवासी शोएब उर्फ सौरभ पुत्र इम्तियाज व गांव बाई खेड़ी निवासी आवेश पुत्र इरशाद के नाम से हुई। पकड़े गए दोनों युवकों की तलाशी ली तो शोएब उर्फ सौरभ से 367 ग्राम हेरोइन (स्मैक) व आवेश से 100 ग्राम हेरोइन (स्मैक) बरामद हुई। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दोरान आरोपियों से और भी खुलासे होंगे।

पकड़े गए दो तस्कर।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

ओ.ए. नं. **629/2021** दिनांक **04-12-2023**

पंजाब नैशनल बैंक — आवेदक

बनाम

रवि चौधरी एवं अन्य — प्रत्यार्थी

सेवा में
प्रतिवादी

1. **श्री रवि चौधरी पुत्र श्री राजेंद्र सिंह**
2. **सुश्री दीपिका चौधरी पत्नी रवि चौधरी**, 362 चिपयाना बुजुर्ग पुराने शिव मंदिर के पास गौतमबुद्ध नगर, यू.पी. – 201009
3. **श्री अरविंद पंवार पुत्र श्री मंशाराम, मकान नं. 473 टिकरौल सहारनपुर यू.पी. – 247452, और: 3033, सेक्टर–4ए वसुंधरा गाजियाबाद, यू.पी. – 201012**
4. **मैसर्स ईएमएम वीईई इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्रा. लि., बिल्डर, प्लॉट नं. 1000एम ग्राम घाट द्वारिका हाइट्स के पास एनएच 58 वेदव्यासपुरी मेरठ–250005 यू.पी.**

जबकि उपर्युक्त वादी ने आपके विरुद्ध **रूपये 61,33,420/- (रु. इकसठ लाख तैंतीस हजार चार सौ बीस मात्र)** की वसूली हेतु वाद दायर कर रखा है और प्राधिकरण सन्तुष्ट है कि आपको साधारण तरीके से यह नोटिस नहीं दिया जा सकता है, कि आपको साधारण तरीके से यह नोटिस नहीं दिया जा सकता है, अतः इस नोटिस को प्रकाशित करवा कर यह नोटिस देते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक **12.04.2024** को **प्रातः 10.30 बजे** प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो

सूचित रहे कि यदि आप उपरोक्तानुसार तय दिन व समय पर प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होते है तो आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर वाद को निर्णित किया जा सकता है।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उस उद्देश्य के लिए लिया जाएगाः–

(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;

(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात **"drt.gov.in"** की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) किसी भी जानकारी हेतु, एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन **23748478** पर संपर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 04 दिसम्बर, 2023 को दिया गया।

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक अधिकारी, डीआरटी – ।।, दिल्ली

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI
4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI- 110 001
TA No. 337 /2022
ICICI BANKLIMITED
VS
PANKAJ BHARDWAJ AND ORS

To,
(1) PANKAJ BHARDWAJ AND ORS, R/O PKT-24/119, PKT -24. SEC 24, ROHINI NORTH WEST, DELHI - 110085
(2) SONIA DEVI W/O SH, PANKAJ BHARSWAJ (CO BRROWER), R/O PKT- 241 119. POCKET - 24. SECTOR - 24, ROHINI, NEW DELHI -110085
(3) AVJ DEVELOPERS (INDIA) PVT. LTD, (BUILDER D- 237. 1ST FLOOR (BACKSIDE) VIVEK VIHAR PHASE- I DELHI -110095

Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of **Rs.29,68,945/- (Rupees TWENTY NINE LAKH SIXTY EIGHT THOUSAND NINE HUNDRED AND FORTY FIVE ONIY)** against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before **Ld Registrar on 03.05.2024 at 10:30 A.M.** for further details kindly visjt DRT website www.etribunal.gov.in Phone Numben 011-237 48473 Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.

Due to ongoing Pandemic Situation, all the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:- All the Advocates/ Litigants shall download the **"Cisco Webex"** application/ Software;**"Meeting ID" and Password"** for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/ Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT official Portal i.e. **"drt.gov.in"** under the Pubric Notice Head. In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at **Ph. No. 011-23748473.**

Given under my hand and seal of the Tribunal on this **11th March,2024.**

By order of this Tribunal
Assistant Registrar

Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry.

Mr. Amit K. Dar,
Ld. Registrar DRT-I,
Phone No. 011-23748473
Email : drt1delhi-dfs@nic.in

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, इंडिया

शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, विश्वकर्मा कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशोम्बी, गाजियाबाद-201010

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू सूचना

सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) की शर्तों के साथ सुरक्षाहित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूतिकरण और वित्तीय सम्पत्तियों के विनिर्माण के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना।

एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतू और ऋणदाता(ों) और ग्रांटर(ों) के विवरणों में सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित अचल सम्पत्ति बंधक/चार्जड सिक्योरड क्रैडिटर, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **फिजीकल कब्जा** 'जैसे है जहां है', 'जैसे है क्या है' और 'जो भी है वहां है' के आधार पर निम्न के अन्तर्गत दिए संक्षिप्त विवरणों अनुसार बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणदाता(ों)/सह ऋणदाताओं/ ग्रांटरों/कानूनी वारिसों के नाम, ऋण खाता नं.	सुरक्षित सम्पत्ति(ों) के साथ ऋणभार का विवरण यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित कीमत जमा धरोहर राशि	जांची गई सम्पत्ति की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	राज किशोर डोबरियाल (ऋणदाता) प्रभा डोबरियाल (सह ऋणदाता) Loan A/c No. LHNOD00001284280	प्लाट नं. डी-850 प्रथम मंजिल पर, डी-ब्लॉक, रिहायशी कालोनी इंद्रप्रस्थ, तहीसल एवं जिला गाजियाबाद में स्थित।	रु. 24,51,880/-, 20, मार्च 2024	रु. 13,00,000/- रु. 1,30,000/-	08 अप्रैल 2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	16 अप्रैल 2024 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टैक** की वेबसाइट (**यूआरएल लिंक- https://BestAuctionDeal.com**) पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों को नोटिस **15 अप्रैल , 2024 तक सायं 5.00 बजे** से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, विश्वकर्मा कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशोम्बी, गाजियाबाद-201010** में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) **या 15 अप्रैल, 2024 सांय 4:00 बजे** से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ों) पंजीकरण फार्म और बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रथम मंजिल, विश्वकर्मा कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशोम्बी, गाजियाबाद-201010 में या 15 अप्रैल, 2024 को सायं 05.00 बजे से** पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से '**आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी**' के पक्ष में **गाजियाबाद** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300** या अन्य **सेल्ज एंड मार्केटिंग पार्टनर NexXen Solutions Private Limited** से संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://www.icicihfc.com/**

तिथि: मार्च 29, 2024
स्थान: गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059, इंडिया

शाखा कार्यालय: प्रमिसिस नं. 14, प्रथम मंजिल, शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

(नियम 8 (6) का परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतू सूचना

सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (6) की शर्तों के साथ सुरक्षाहित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूतिकरण और वित्तीय सम्पत्तियों के विनिर्माण के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री की सूचना।

एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतू और ऋणदाता(ों) और ग्रांटर(ों) के विवरणों में सूचित किया जाता है कि निम्न निर्धारित अचल सम्पत्ति बंधक/चार्जड सिक्योरड क्रैडिटर, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा **फिजीकल कब्जा** 'जैसे है जहां है', 'जैसे है क्या है' और 'जो भी है वहां है' के आधार पर निम्न के अन्तर्गत दिए संक्षिप्त विवरणों अनुसार बिक्री की जाएगी।

क्र. सं.	ऋणदाता(ों)/सह ऋणदाताओं/ ग्रांटरों/कानूनी वारिसों के नाम, ऋण खाता नं.	सुरक्षित सम्पत्ति(ों) के साथ ऋणभार का विवरण यदि कोई हो	बकाया राशि	आरक्षित कीमत जमा धरोहर राशि	जांची गई सम्पत्ति की तिथि एवं समय	निलामी की तिथि एवं समय
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)
1.	सोबरन सिंह (ऋणदाता) सीमा देवी (सह ऋणदाता) Loan A/c No. LHDWJ00001488920 & LHDWJ00001485967	इंटाइर द्वितीय मंजिल बिना रूफ राइट्स पार्ट बिल्ट अप फ्री होल्ड सम्पत्ति बेयरिंग नं. एच-80, ब्लॉक एच, खसरा नं. 72/8 से बाहर, पूठ कलां गांव के क्षेत्र में स्थित, जो अब कॉलोनी 'कृष्ण विहार' दिल्ली-110086 से जानी जाती है।	रु. 15,26,316/-, 20, मार्च 2024	रु. 11,66,000/- रु. 1,16,600/-	08 अप्रैल 2024 को प्रातः 11 बजे से सायं 3.00 बजे तक	16 अप्रैल 2024 को सायं 02:00 बजे से सायं 03.00 बजे तक

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी **ग्लोब टैक** की वेबसाइट (**यूआरएल लिंक- https://BestAuctionDeal.com**) पर आयोजित की जाएगी। गिरवी रखने वालों को नोटिस **15 अप्रैल , 2024 तक सायं 5.00 बजे** से पहले अतिरिक्त ब्याज के साथ कुल देय राशि का भुगतान करने का अंतिम मौका दिया जाता है अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रमिसिस नं. 14, प्रथम मंजिल, शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092** में बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) **या 15 अप्रैल, 2024 सांय 4:00 बजे** से पहले जमा करना होगा। संभावित बोलीदाता(ों) पंजीकरण फार्म और बोली के नियम एवं शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, प्रमिसिस नं. 14, प्रथम मंजिल, शंकर विहार, विकास मार्ग, दिल्ली-110092 में या 15 अप्रैल, 2024 को सायं 05.00 बजे से** पहले जमा की जा सकती है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से '**आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी**' के पक्ष में **दिल्ली** में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियम और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300** या अन्य **सेल्ज एंड मार्केटिंग पार्टनर NexXen Solutions Private Limited** से संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया देखें **https://www.icicihfc.com/**

तिथि: मार्च 29, 2024
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्ज, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

कॉरपोरेट कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059

शाखा कार्यालय: प्रथम मंजिल, विश्वकर्मा कॉम्पलैक्स, प्लॉट नं. 17/18, यशोदा अस्पताल के पीछे, कौशोम्बी, गाजियाबाद-201010

जैसा कि

निम्न जारी ऋणदाताओं पर जारी डिमांड सूचना सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ी जाती धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिक्योरिटी इंटरस्ट अधिनियम 2002 की वित्तीय संपत्तियां और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण, विनिर्माण के अन्तर्गत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी अधोहस्ताक्षरी सूचना में जारी रकम की पुनः अदायगी करने के लिए उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहते हैं।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण और ऋणदाता सूचित रकम की पुनः अदायगी करने में यदि असफल रहता है तो अधोहस्ताक्षरी निम्न जारी तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़े जाते उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उसके/उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्धारित सम्पत्ति का कब्जा करेंगे। विवरणों में ऋणदाता और सर्व साधारण को एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ डील करने वालों को सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के चार्ज के विषय पर सम्पत्ति के साथ कोई डीलिंग न की जाए।

क्र. सं.	ऋणदाता/सह-ऋणदाता का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में रकम (रु.)	शाखा का नाम
1.	सौकत अली (ऋणदाता), शहाना (सह-ऋणदाता) LHGHZ00001531459.	फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति बेयरिंग नं. 111-बी न्यू नं. 117-बी, अप्पर ग्राउंड फ्लोर, द्वितीय मंजिल एवं तृतीय मंजिल, मापित एरिया 33.5 स्का. मीटर हर मंजिल, खसरा नं. 21/4/2 से बाहर, रूफ राइट के साथ, गांव ख्याला, कालोनी जो अब विष्णु गार्डन से जानी जाती है, ब्लॉक एनई दिल्ली 0 दिल्ली दिल्ली-110018 (Ref Lan No. LHGHZ00001531459) सीमा:- उत्तर- अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-अन्य की सम्पत्ति, पूर्व- गली 8 फीट, पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति/कब्जे की तिथि 27-मार्च-24	12.01.2024 रु. 25,81,342/-	गाजियाबाद (कौशोम्बी) -बी
2.	सौकत अली (ऋणदाता), शहाना (सह-ऋणदाता) LHGHZ00001531460.	फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति बेयरिंग नं. 111-बी न्यू नं. 117-बी, अप्पर ग्राउंड फ्लोर, द्वितीय मंजिल एवं तृतीय मंजिल, मापित एरिया 33.5 स्का. मीटर हर मंजिल, खसरा नं. 21/4/2 से बाहर, रूफ राइट के साथ, गांव ख्याला, कालोनी जो अब विष्णु गार्डन से जानी जाती है, ब्लॉक एनई दिल्ली 0 दिल्ली दिल्ली-110018 (Ref Lan No. LHGHZ00001531460) सीमा:- उत्तर- अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-अन्य की सम्पत्ति, पूर्व- गली 8 फीट, पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति/कब्जे की तिथि 27-मार्च-24	12.01.2024 रु. 96,256.74/-	गाजियाबाद (कौशोम्बी) -बी
3.	सौकत अली (ऋणदाता), शहाना (सह-ऋणदाता) LHGHZ00001550156	फ्रीहोल्ड बिल्ट अप सम्पत्ति बेयरिंग नं. 111-बी न्यू नं. 117-बी, अप्पर ग्राउंड फ्लोर, द्वितीय मंजिल एवं तृतीय मंजिल, मापित एरिया 33.5 स्का. मीटर हर मंजिल, खसरा नं. 21/4/2 से बाहर, रूफ राइट के साथ, गांव ख्याला, कालोनी जो अब विष्णु गार्डन से जानी जाती है, ब्लॉक एनई दिल्ली 0 दिल्ली दिल्ली-110018 (Ref Lan No. LHGHZ00001550156) सीमा:- उत्तर-अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण-अन्य की सम्पत्ति, पूर्व- गली 8 फीट, पश्चिम- अन्य की सम्पत्ति/कब्जे की तिथि 27-मार्च-24	12.01.2024 रु. 14,46,372/-	गाजियाबाद (कौशोम्बी) -बी

उपरोक्त जारी ऋणदाताओं (ों)/जमानतदार(ों) सिक्योरिटी इंटरस्ट (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियमों 8 और 9 के अन्तर्गत प्रावधानों अनुसार इस सूचना की विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बिक्री गिरवी सम्पत्तियों की रकम की पुनः अदायगी की सूचना 30 दिनों में एतद् द्वारा की जाने के लिए कहा जाता है।

तिथि: मार्च 29, 2024
स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड